



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06032026-270711
CG-DL-E-06032026-270711

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1142]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 6, 2026/फाल्गुन 15, 1947

No. 1142]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 6, 2026/PHALGUNA 15, 1947

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2026

का.आ. 1194(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) की धारा 4 उपधारा (1) के साथ पठित धारा (3) की उपधारा (1) और उपधारा (2) का प्रयोग करते हुए सुश्री एस मुनावरी बेगम और श्री बर्जिस देसाई को उनके द्वारा पद धारण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य नामित करती है।

[फा. सं. एनसीएम-11011/3/2021-पीपी-एमओएमए]

श्यामा प्रसाद राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2026

S.O. 1194(E).— In pursuance of sub-section (1) and (2) of section 3 read with sub-section (1) of section 4 of the National Commission for Minorities Act, 1992 (19 of 1992), the Central Government hereby nominates Ms. S Munawari Begum and Shri Berjis Desai as Members of the National Commission of Minorities for a period of three years from the date they assume office.

[F. No. NCM-11011/3/2021-PP-MoMA]

SHYAMA PRASAD ROY, Jt. Secy.

1648 GI/2026